न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/23/2007	2007/00001	26—12—2007	03—01—2024

01— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

01— रामजीवन सैनी पुत्र सोहन लाल सैनी।
02— श्रीमती बीना पत्नी रामजीवन।
03— कुमारी शालू कुशवाह पुत्री रामजीवन।
04— कुमारी गीतांजली कुशवाह पुत्री रामजीवन सैनी भौरा वाला कुआ रेलवे स्टेशन अलवर।
05— प्रभु दयाल पुत्र तुला राम सैनी।
06— विजय सिंह पुत्र तुला राम सैनी निवासी छिप्परवाला तिजारा अलवर।(मृतक)
06/1 — महादेवी पत्नी स्व. श्री विजय सिंह ।
06/2 — अमित सैनी पुत्र स्व. श्री विजय सिंह।
06/3 — मयन कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री विजय सिंह समस्त जातियान माली निवासीयान छिपटवाड़ा, देहरापथ तिजारा जिला खैरथल—तिजारा।
07— बाला प्रसाद पुत्र खियाली राम सैनी।
08— अनिता पत्नी बाला राम सैनी ग्राम पुराना खैरथल तह0 किशनगढ़ बास जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक
2. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

तहसीलदार अलवर ने यह रैफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि अलवर नंबर एक तहसील व जिला अलवर में खसरा नंबर हाल 2492 रकबा 0.84 है0 एवं 2493 रकबा 0.14 हैक्टेयर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2062 ला. 2065 जिसका गत खसरा नंबर 1946 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा तथा सम्वत 2020 से पहले का खसरा नंबर 1232 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। जो ओर मंदिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज साकिन देह के नाम सम्वत 2009 की जमाबन्दी में अंकित है। वह आराजी इस रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में विवादित बयान की जा रही है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2009 के अनुसार माफी मन्दिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज साकिन देह की कृषि भूमि है और जिसके समर्थन में नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत 2009 की प्रस्तुत है। उक्त आराजी खसरा नंबर हाल 2492 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं 2493 रकबा 0.14 हैक्टेयर की मिलान क्षेत्रफल की नकल सम्वत 2020 व सम्वत 2051 पेश है तथा सम्वत 2020 व सम्वत 2051 लागायत 2070 की नकल जमाबंदी पेश है। मंदिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज वाके अलवर शाश्वत नाबालिग है। जिनकी उक्त कृषि भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2009 में कॉलम नंबर 4 के अंकन में मन्दिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज का नाम अंकित है। जिसकी बाबत बन्दोबस्त 2020 में व बन्दोबस्त हाल 2051 में व अन्य जमाबंदियों में व अप्रार्थी का नाम तथा अन्य पूर्व के विक्रेताओं का नाम अवैध तरीके से विधि विरूद्व विक्रय पत्र व इंतकालों के जरिये दर्ज होकर स्वीकार हुए हैं जो निरस्त होकर मूर्ति मन्दिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज के नाम उक्त भूमि को अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, क्योंकि विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही प्रदान किये जा सकते हैं। इसलिये यह रैफरेन्स अप्रार्थीगण के नाम के अंकन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

को उक्त आराजी की बाबत निरस्त कर मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज कराने के लिए पेश है। रैफरेन्स अलवर नंबर 1 तहसील अलवर की भूमि का होने की वजह से माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में है। इसलिए यह रैफरेन्स विला देरी पेश है। अतः रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख0नं0 हाल 2492 रकबा 0.84 है0 एवं 2493 रकबा 0.14 है0 वाके अलवर नं0 1 तह0 अलवर है। जो अंकन उक्त आराजी का अप्रार्थी के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है। उसे निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज अलवर शाश्वत नाबालिग के नाम का अंकन किये जाने के लिए रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भिजवाई जाने की कृपा की जावे।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि हाल खसरा नं0 2492 रकबा 0.84 एयर व हाल खसरा नं0 2493 रकबा 0.14 एयर है। साविक ख0नं0 1946 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा मंदिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज के नाम अंकत नहीं है, बल्कि रामजीलाल पुत्र भौरेलाल बतौर खातेदार अंकित है। यह गलत है कि सम्वत 2009 की कोई जमावंदी में मंदिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज का नाम अंकित है। संवत 2009 की जमाबंदी श्रीमान के रिकॉर्ड में ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो रैफरेन्स के साथ जमाबन्दी पेश की गयी है, वो फर्जी, बनावटी एवं नुमाईशी है। संवत 2009 की जमाबंदी लैण्ड रिकार्ड शाखा में उपलब्ध नहीं है। रैफरेन्स प्रस्तुतकर्ता द्वारा भी असल जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए रैफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। अन्य किसी जमावंदी में मंदिर के नाम का कोई अंकन नहीं है। संवत 2009 की कोई जमाबंदी उपलब्ध नहीं है। संवत 2020 व संवत 2051 लगायत 2070 तक की जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार रामजीलाल व प्रार्थी दर्ज है। चरण सं0 4 प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। जमाबंदी सम्वत् 2009 असल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और रैफरेन्स कर्ता द्वारा पेश जमाबंदी की फोटोकॉपी है जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अप्रार्थीगण ने यह भूमि समस्त जमाबंदियों की व समस्त राजस्व रिकॉर्ड देखकर भारी कीमत देकर रिकॉर्डेड खातेदार से खरीद की है और जिस पर सही प्रकार से राजस्व अधिकारियों द्वारा अप्रार्थीगण का नामान्तरण किया है व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की है तथा मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे का होना स्वीकार किया है। तहसीलदार द्वारा रैफरेन्स पेश किया गया है, किन्तु विवादित भूमि राजकीय भूमि ना होने के कारण इस भूमि के सम्बन्ध में रैफरेन्स करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। भूमि अलवर नं0 1 तह0 में स्थित है। यह गलत है कि रैफरेन्स श्रीमान के श्रवण योग्य हो और मियाद में हो। रैफरेन्स मियाद बाहर है। सौ वर्षों से भूमि पृथक पृथक किसानों की कब्जे काश्त व खातेदार की रही है। जिसे दिनांक 22.06.1987 को अप्रार्थीगण द्वारा खरीद किये जाने के कारण अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की है। बाद खरीद से अप्रार्थीगण की मौके पर काश्त व कब्जा रहा है। जमाबंदी में रैफरेन्सकर्ता ने रामजीवन की जगह जानबूझकर रामजीलाल अंकित किया है। अप्रार्थी का नाम रामजीवन है जो कि विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण के द्वारा साबिक खसरा नं0 1946 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके अलवर नं. 1, अलवर को रामजीलाल पुत्र भौंरेलाल जाति माली निवासी महताबसिंह का नोहरा अलवर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.06.1987 के क्रय किया गया है जिसके हाल खसरा नं0 2492 रकबा 0.84 एयर व हाल खसरा नं0 2493 रकबा 0.14 एयर वाके अलवर नं0 1 है। बाद खरीद से अप्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर पिछले करीब 46 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। रैफरेन्स 36 वर्षों की अवधि के पश्चात् पेश किया गया है जो कि मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। सम्वत 1996, 1997 से सम्वत 2008 तक यह भूमि खातेदारों काश्तकारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। कभी भी मंदिर श्री नृत्य गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज नहीं रही है। संवत 2014 के सैटलमेन्ट के समय एएसओ को निर्णय दिनांक 03.08.1964 का फैसला आज तक बहाल है जिस फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील आज दिनांक तक नहीं की है। यह फैसला घनश्याम दत्त शर्मा के हक में किया गया है। घनश्याम दत्त शर्मा पुत्र रामकुंवार द्वारा वक्त काश्तकारी एक्ट लागू होने के दिन से काश्तकार रहे हैं जिन्होंने बाद में आराजी को भौंरेलाल सैनी को बेचान किया, जिसके नाम खातेदारी दर्ज रही है। संवत् 1998 से 2008 तक तथा सम्वत् 2014 से आज तक उक्त भूमि काश्तकारों के नाम रही है कभी भी मंदिर के नाम नहीं रही। पिछले 46 वर्षों से अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं जिन्हें अब काश्तकारी से हटाया नहीं जा सकता है। आलोच्य रेफरेन्स में जानबूझकर गलत नाम दर्ज किया गया है। जिस दिन से रामजीलाल के नाम से रेफरेन्स पेश किया गया है उस दिन भी अप्रार्थीगण रामजीवन के नाम खातेदारी थी और आज भी रामजीवन के नाम खातेदारी है। रेफरेन्स जानबूझकर रामजीवन के स्थान पर रामजीलाल के विरूद्ध पेश किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। रेफरेस मियाद बाहर है। सौ वर्षों से भूमि पृथक–पृथक किसानों की कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है जिसे दिनांक 22.06.1987 को अप्रार्थीगण द्वारा खरीद किये जाने के कारण अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की है। बाद खरीद से अप्रार्थीगण की मौके पर काश्त व कब्जा रहा है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

एवं राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। सम्वत् 2009 की जमाबंदी लैण्ड रिकॉर्ड शाखा में उपलब्ध नहीं है। रेफरेन्स प्रस्तुतकर्ता द्वारा भी असल जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गयी है इसलिए रैफरेन्स खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय की गई है, वक्त खरीद बाजारू दर से बनने वाली कीमत विक्रेता को अदा की गई है तभी से यानी 46 वर्षो से कब्जा व काश्त अप्रार्थीगण की चली आ रही है। रेफरेन्स में गलत रूप से अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि को विवादित दर्ज किया गया है जो गलत है। उक्त भूमि विवादित नहीं है अपितु मिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त आधारो पर तहसीलदार अलवर द्वारा पेश रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में परिपत्र राज. सरकार दिनांक 24.05.2007, आदेश राजस्व मण्डल दिनांक 06.01.2010, डी.एन.जे. 2020 रेवेन्यू पेज 311, डी.एन.जे. 2020 रेवेन्यू पेज 111, आर.आर.डी. 1996(एच. सी.डी.बी) पेज 170, डब्ल्यू एल सी 2005 (वॉल्यूम–03) पेज 688, डब्ल्यू एल सी 2010(वॉल्यूम–01) पेज 625 (पार्ट–सी और ई), डब्ल्यू एल सी 2000(वॉल्यूम–04) पेज 711 (पार्ट–ए और बी), सी.डी.आर. 2007 (वॉल्यूम–03 एच.सी.) पेज 1962, रिट पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट 20005/89 दिनांक 22.12.2002, रिट पिटीशन राजस्थान हाईकोर्ट 2015, रिट पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट 2017 पेश किये।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार अलवर के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओ को स्वीकार करते हुये रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार अलवर एव अप्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 में <u>जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार –</u> जागीर भूमि के प्रव्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में राजस्व अभिलेखो में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य किसी रूप मे जिसमें यह अन्तरहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज किया गया है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐंसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। तथा जागीर के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज है, उनमें उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एंव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं है, राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनाक 06.01.2010 के द्वारा राजस्व न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो का निस्तारण तदानुसार कराये जाने के आदेश दिये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामे से खरीदना स्पष्ट जाहिर होता है। उक्त आराजी की बाजारू दर से बनने वाली कीमत अप्रार्थीगण द्वारा विक्रेता को अदा की गयी है। तहसीलदार अलवर द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रकरण वकील अप्रार्थी के नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार दिनांक 26.09.1997 के विरूद्व 26.12.2007 पेश किया गया है। जो करीब 10 वर्ष के पश्चात पेश किया गया है, वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नजीरों का अवलोकन किया गया जिसमें रेफरेन्स 437 दिन विलम्ब से पेश करने पर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नजीरें उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती हैं। प्रकरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अलवर द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)